उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404.

www.ukpsc.gov.in

संख्याः 102/01/डी0आर0/सेवा–2/2020–21 दिनांक : 04 अक्टूबर, 2021

साक्षात्कार–ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों में कुलसचिव पद के लिए दिनांक 02 नवम्बर, 2021 को साक्षात्कार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में निर्धारित किया गया है। साक्षात्कार कार्यक्रम आयोग की बेवसाइट पर प्रसारित किया गया है।

2. इस साक्षात्कार ज्ञाप के साथ बेवसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे– **(क)** विस्तृत आवेदन–पत्र **(Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या–02) (ख)** प्रमाणीकरण–प्रपत्र **(Attestation Form) (प्रपत्र संख्या–03) (ग)** देशना–पत्रक **(Index Card) (प्रपत्र संख्या–04)।**

3. अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र व उक्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ आयोग के अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। **मूल अंक–तालिका/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा** :–

(i) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।

(ii) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।

(iii) स्नातक उपाधि एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंक–तालिकाएं।

(iv) स्नातकोत्तर उपाधि एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंक–तालिकाएं।

(v) विज्ञापन में उल्लिखित प्रारूप में अनुभव प्रमाण–पत्र।

(vi) अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualifications) से संबंधित प्रमाण पत्र।

(vii) अनुसूचित जाति से संबंधित प्रमाण–पत्र।

(viii) अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र मूल रूप में।

(viii) यदि अभ्यर्थी के नाम अथवा पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में एकरूपता न हो, तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ–पत्र मूल रूप में।

4. साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क **रू. 60.00** आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी।

5. साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लेकर आयेंगे।

6. यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था **(Examining Body)** ने नियमित प्रमाण–पत्र **(Certificate)** अथवा उपाधि **(Degree)** नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र **(Provisional Certificate)** मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर प्रस्तुत करना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7. विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

8. आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

9. अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित शासनादेश संख्याः 259/USDMA/792(2020), दिनांक 28 जून, 2021 में कोविड–19 के तहत वर्णित प्राविधान का कड़ाई से अनुपालन करते हुए साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होना होगा जिसके लिए **निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है–**

(i) अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार परीक्षा स्थल पर फेस–मास्क पहनना एवं सेनेटाईजर लेकर आना अनिवार्य है।

(ii) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा स्थल पर निर्धारित समय पूर्वाहन् 9:30 बजे प्रवेश दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की बोतल स्वंय लेकर आयेंगे।

(iv) परिसर में अनावश्यक इधर–उधर विचरण नही करेगें।

(v) एक दूसरे से छह फीट की दूरी का ध्यान रखते हुए सोशल–डिस्टेंसिंग का पालन करेगें।

(vi) परिसर में इधर–उधर थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित है। खॉसते या छींकते समय टिश्यू पेपर/रूमाल से मुँह और नाक को ढकेंगे तथा टिश्यू पेपर को डस्टबिन में ही डालेंगे।

Sd/-

(कर्मेन्द्र सिंह)

सचिव।